



क्रमांक : F4()PI/NOCportal/2021/ 343

दिनांक 1-4-2021

संस्था सचिव /प्राचार्य
निजी महाविद्यालय
राजस्थान


विषय : सत्र 2018-19 या पश्चात के सत्रों में ऑनलाइन प्रपत्र / NOC आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रही संस्थाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल पुनः खोलने के क्रम में सन्दर्भ : विभाग का पत्र क्रमांक 246, दिनांक 27.5.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि किसी कारणवश सत्र 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए पूर्व संचालित निजी महाविद्यालयों के लिए सत्र 2021-22 तक के समस्त प्रकरणों के लिए NOC पोर्टल दिनांक 12.4.2021 से 21.4.2021 तक खोला जावेगा।

इस हेतु निजी महाविद्यालयों को संलग्न प्रारूप में समस्त सूचनाएं दिनांक 8.4.2021 तक आयुक्तालय की निजी संस्था शाखा में व्यक्तिशः उपस्थित होकर उपलब्ध करानी होगी। तत्पश्चात जांच के उपरान्त दस्तावेज पूर्ण व सही पाए जाने पर संबंधित संस्था को उनकी ई-मेल पर ऑनलाइन पोर्टल का पासवर्ड प्रेषित किया जावेगा, दस्तावेज पूर्ण व सही नहीं पाए जाने पर पासवर्ड जारी नहीं किया जाएगा जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी। संस्था को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म निर्देशानुसार भर कर मय निर्धारित शुल्क लॉक एंड सबमिट करना अनिवार्य होगा।

ऐसी संस्थाएं जिन्होंने पूर्व में आयुक्तालय में व्यक्तिशः सूचनाएं उपलब्ध करवा दी हैं उन्हें केवल संलग्न प्रपत्र में सूचना भर कर प्रपत्र स्कैन कर jdpi.cce@gmail.com पर ई-मेल करना होगा तथा केवल अप्रस्तुत दस्तावेजों की हार्ड कॉपी निर्धारित तिथि से पूर्व व्यक्तिशः प्रस्तुत करनी होगी।


संलग्न : उपर्युक्तानुसार


(सन्देश नायक, IAS)

आयुक्त कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि :

1. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को अपलोड हेतु।


(डॉ अल्पना व्यास)

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं)

सूचना प्रपत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	स्थापना वर्ष	अनापत्ति प्रमाण पत्र का स्तर (TNOC/PNOC)	महाविद्यालय का ई-मेल	सचिव का मोबाईल नं. व ई-मेल	अध्यक्ष का मोबाईल नं. व ई-मेल	राज्य सरकार से प्राप्त समस्त NOC की प्रतियां	सम्बद्धक विश्वविद्यालय से प्राप्त अद्यतन सम्बद्धता प्रमाण पत्र की प्रति	पूर्व में जमा करवाये गए शुल्क की प्रतियां (सत्र 2018-19, 2019-20 व 2020-21)	पूर्व में किये गए ऑनलाइन आवेदन के प्रथम पृष्ठ की प्रति	गत 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम के दस्तावेज	यदि संस्था का NOC से संबंधित कोई न्यायिक प्रकरण है तो उसका विवरण